

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह,
निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण-
सह-श्रमायुक्त बिहार ।

सेवा में,

निदेशक, (कृ.श्र.) निदेशालय ।
सहायक श्रमायुक्त, सहरसा ।

श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01/किशनगंज/शेखपुरा/सीवान-01/कैमूर/सुपौल।

पटना, दिनांक- 15-3-19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-
मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र
कोड-26-2230011010007) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के
निमित्त निम्नलिखित कार्यालय को निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	01-वेतन				13 कार्यालयी व्यय			योग-26-2230. 01.101.0007- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन
		0007. 01.01 वेतन	0007.01. 03 जीवन यापन भत्ता	0007.01. 04 मकान किराया भत्ता	योग-26-223 0.01.101. 0007.01 वेतन	0007. 13.01 कार्यालय व्यय	0007. 13.03 दूरभाष	0007. 13.06 वर्दी/ पोशाक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	निदेशक, निदेशालय कृ.श्र.	-	-	-	0	-	-	10000	10000
2	सहायक श्रमायुक्त, पूर्णिया प्रमंडल	350000	100000	50000	500000	-	10000	-	510000
3	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	750000	350000	175000	1275000	-	12000	-	1287000
4	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	800000	400000	136000	1336000	-	-	-	1336000
5	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	150000	40000	26000	216000	-	-	-	216000
6	श्रम अधीक्षक,सीवान	650000	300000	151000	1101000	-	-	-	1101000
7	श्रम अधीक्षक,कैमूर	850000	350000	196000	1396000	-	-	-	1396000
8	श्रम अधीक्षक,सुपौल	-	-	-	0	34000	-	-	34000
	योग	3550000	1540000	734000	5824000	34000	22000	10000	5890000

कुल आवंटित राशि ₹ 58,90,000/- (₹ अनठावन लाख नब्बे हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18
एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक- 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित
राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
5. लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1126/लोक दिनांक-1.2.19 के आलोक में ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. से संबंधित मामलों में वित्त विभाग का परामर्श लिया जाना अभी शेष है, इस कारण से उक्त प्रकार के किसी भी बकाया राशि की निकासी प्रेषित आवंटन से नहीं किया जाय।
6. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैन्युअली निर्गत किया जा रहा है।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी.भी. नं. तथा तिथि के साथ विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
8. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है।

विश्वासभाजित,

(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण

-सह-श्रमायुक्त बिहार

ज्ञापांक- 6/बी3-101/18 श्र.सं.

170

पटना, दिनांक

15-3-19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण

-सह-श्रमायुक्त बिहार

* स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/बी3-101/18 श्र.सं.-

170

पटना, दिनांक

15-3-19

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण

-सह-श्रमायुक्त बिहार